कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-73/2016-17/

दिनांक : /02/2017

सेवा में,

खण्ड विकास अधिकारी,

क्षेत्र पंचायत- ताड़ीखेत

जिला- अल्मोड़ा

विषय : क्षेत्र पंचायत ताड़ीखेत का वर्ष 2013-14 से वर्ष 2015-16 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग -4 (ब)-1 में **शून्य** प्रस्तर, भाग-4 (ब)-2 में **05** प्रस्तर तथा STAN मे शून्य प्रस्तर है। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-4 (ब)-1 के सभी प्रस्तरों की अनुपालन आख्या सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन देहरादून एवं भाग-4 (ब)-2 के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 73/2016-17/ दिनांक: /06/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड, डांडा लाखोंड, निकट आई0टी0पार्क, सहस्त्रधारा मार्ग, देहरादून।

2- निदेशक, लेखापरीक्षा (आडिट) निदेशालय, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

3 -जिला पंचायतराज अधिकारी, अल्मोड़ा

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक के लिये क्षेत्र पंचायत ताड़ीखेत (अल्मोड़ा) पर निरीक्षण प्रतिवेदन

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत ब्लॉक प्रमुख तथा खण्ड विकास अधिकारी का नाम तथा पदनाम

श्रीमति रचना रावत - ब्लॉक प्रमुख

श्री मोहन चन्द्र जोशी - खण्ड़ विकास अधिकारी

(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम (i) श्री अशोक कुमार, व.ले.प.अ.

(ii) श्री एल0एस0लिंगवाल, स.ले.प.अ.

(iii) श्री नित्यानन्द, स.ले.प.अ.

(iv) श्री मनोहर सिहं, ले.प.

(स) संप्रेक्षा तिथि 23.09.2016 से 01.12.2016 तक

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि: 2013-14 से 2015-16 तक

भाग-दो

परिचयात्मक :

1. पंचायतीराज संस्था का नाम :**. क्षे.पं-. ताड़ीखेत** जनपद**- अल्मोड़ा**

(अ) उपरोक्त यदि ज़िला पंचायत है तो:-

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः- 130

भौगोलिक क्षेत्र :- 28756.337 हेक्टेयर

जनसंख्या : 66831

2- निर्वाचित सदस्यों की संख्या : 40

3- पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः 06

4- (ब) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठक की संख्या:- 06

5- कर्मचारियों की संख्या : 20

6- पंचायतराज की सम्पत्तियां : कार्यालय भवन

7- पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट : -

8- योजनाओं की संख्या :- -

9- (अ) सामाजिक संरक्षा

(ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धित: -

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें:-

(द) लाभार्थियों की संख्या:

10- वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि :

11- वर्ष के दौरान कुल व्यय : बजट के अनुसार (**संलग्न**)

(अ) सामान्यः -

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाये) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।

12- क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया है-

भाग-4 (अ)

(क) **परिचयात्मकः**- कार्यालय ख.वि.अ., क्षेत्र पंचायत **ताड़ीखेत**, जनपद- **अल्मोड़ा** के लेखा/अभिलेखों की वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक की सम्प्रेक्षा श्री अशोक कुमार, व.ले.प.अ. के पर्यवेक्षण मे श्री एल0एस0लिंगवाल, स.ले.प.अ., श्री नित्यानन्द, स.ले.प.अ. एवं श्री मनोहर सिहं ले0प0 द्वारा दिनांक 23.11.2016 से 01.12.2016 तक सम्पादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः-

(i) महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	**प्रस्तर भाग 4(ब)-1**	**प्रस्तर भाग 4(ब)-2**
AIR-303/2013-14	प्रस्तर -01	प्रस्तर -01से 05

	प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग प्रस्तरों की संख्या**
(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर	--	
(ग) सतत अनियमितताओं की सूची	--	शून्य
(घ) अप्रस्तुत अभिलेख	-	

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर 1:- व्याज के रूप मे प्राप्त धनराशि के ` 5.79 लाख को राजकोष में जमा न किया जाना।

प्रमुख सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन के आदेश क्रमांक 347/वि0आ0नि0दे0 (तृ0रा0वि0आ0)/2013 दिनांक 17 जनवरी 2013 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न स्रोतो से प्राप्त धनराशि जो कि व्यय न हो पाने के कारण विभिन्न बैंक खातों में जमा रहती है एवं उस पर व्याज प्राप्त होता है उपरोक्त आदेशानुसार प्राप्त व्याज की धनराशि को शीघ्र ही राजकोष (मु0ले0शीर्ष 0049) में जमा कर देना चाहिए।

इकाई के वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2015–16 तक के लेखा अभिलेखों की जांच के दौरान विभिन्न मदों से संबंधित बैंक खातो की जांच में पाया गया कि इकाई को उक्त अवधि में ` 26,04,283 व्याज के रूप में प्राप्त हुए थे जबकि ` 4,46,276 पूर्ववर्ती वर्षो के शेष थे, इस प्रकार कुल ` 31,50,559 में से उक्त अवधि में ` 25,71,381 राजकोष में जमा कराये गये थे, किन्तु ` 5,79,178 व्याज के अभी भी इकाई के विभिन्न बैंक खातो मे शेष थे, जिन्हे राजकोष में जमा नही कराया गया था।

इस संबंध में लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर इकाई का कहना था कि अवशेष व्याज की धनराशि को शीघ्र ही राजकोष में जमा करा दिया जायेगा।

अतः ` 5.79 लाख की धनराशि को राजकोष में जमा न करने संबंधी प्रकरण को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जा रहा है।

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर 2:- ` 52.63 लाख के उपभोग प्रमाण–पत्रों का प्रेषण न किया जाना।

विकास खण्ड ताड़ीखेत हेतु राज्य वित्त आयोग एवं क्षे0पं0वि0 निधि के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2015–16 तक स्वीकृत धनराशि जिला पंचायत राज अधिकारी अल्मोड़ा द्वारा उस आशय के साथ प्रेषित की गई थी कि एवमुक्त की जा रही धनराशि का शीघ्र उपभोग कर निर्धारित अवधि में उपयोगिता प्रमाण–पत्र विकास खण्ड अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर करा कर उसके साथ कराये गये कार्यों की सूची /कार्ययोजना जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजें ताकि उसे शासन को प्रेषित किया जा सके।

इकाई के राज्य वित्त एवं क्षेत्र पंचायत विकास निधि से संबंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा राज्य वित्त मद में वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में प्राप्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र ही जि0पं0रा0अ0 कार्यालय को भेजे गए थे जबकि क्षे0पं0वि0नि0 में प्राप्त उक्त वर्षों में से मात्र 2013–14 से संबंधित उपभोग प्रमाण पत्र ही प्रेषित किए गए है।

जबकि राज्य वित्त मद में वर्ष 2015–16 में प्राप्त धनराशि ` 38.16 लाख एवं क्षे0पं0वि0नि0 में वर्ष 2014–15 में ` 7,23,684 व 2015–16 में भी ` 7,23,684 कुल ` 52,63,368 के उपभोग प्रमाण पत्र अभी भी जि0पं0रा0अ0 कार्यालय को भेजने अपेक्षित थे।

इकाई का ध्यान इस ओर दिलाये जाने पर इकाईका उत्तर था कि वांछित राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र तैयार करके जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रेषित कर दिये जायेंगे।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि उपभोग प्रमाण पत्रों को जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा निर्धारित समय–सीमा में भेज दिया जाना चाहिए ताकि जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा उसे यथा समय शासन को प्रेषित किया जा सके।

अतः ` 52.63 लाख के उपभोग प्रमाण पत्र न भेजे जाने संबंधी प्रकरण को उच्च अधिकारी के संज्ञान में लाया जा रहा है।

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर 3:- ` 8.96 लाख की धनराशि अवमुक्त करने के पश्चात भी कार्यों का अनारम्भ रहना।

इकाई को क्षेत्र पंचायत विकास निधि के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2015–16 तक धनराशि कुछ प्रतिबन्धों के साथ अवमुक्त की गई थी, जिनमें एक प्रतिबन्ध यह भी था कि अवमुक्त धनराशि से कराए जा रहे स्वीकृत कार्यों को उसी वित्त वर्ष में पूर्णकर अवशेष धनराशि शासन को समर्पित कर दी जानी चाहिए।

इकाई की क्षे0पं0वि0नि0 के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित कार्य पंजिका के अवलोकन पर पाया गया कि इकाई द्वारा उक्त मद के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों में से संलग्न सूची में अंकित कार्यो में से एक कार्य अपूर्ण था जबकि 17 कार्यो जिन पर ` 8.96 लाख की धनराशि अवमुक्त थी, कार्य भी प्रारंभ नहीं हुआ था (सूची संलग्न है)।

इस तथ्य को इकाइ के संज्ञान में लाये जाने पर इकाई का कहना था कि उक्त कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने हेतु संबंधित कर्मचारियों को निर्देश दिये गये है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि कार्यों को धनराशि की स्वीकृति के पश्चात लेखापरीक्षा तिथि तक प्रारम्भ नही किया गया था। इस सम्बन्ध में संपूर्ण/अंतिम जिम्मेदारी संबंधित विकास खण्ड अधिकारी की होती है।

अतः ` 8.96 लाख के कार्यो का प्रारंभ न हो पाना एवं क्र0सं0 10 पर अंकित कार्य का अपूर्ण रहने संबंधी प्रकरण संज्ञान में लाया जा रहा है।

<u>भाग-4, अनुभाग (स)</u>

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति **खंड विकास अधिकारी, क्षे.प.- ताड़ीखेत , जनपद- अल्मोड़ा** को इस आशय से प्रेषित की गयी हैं कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड,वैभव पैलेस,सी-1/105,इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करें।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ स्थानीय निकाय